



2026:AHC: 53527

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या - 7366 वर्ष 2026

संजय शर्मा

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:

शेखर गंगल

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य प्रतिवादियों के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

2. वर्तमान आवेदन बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत दिनांक 30.06.2024 के आरोप-पत्र संख्या 282/2024, जो केस अपराध संख्या 246/2024, धारा 171-एफ, 188 आई.पी.सी. और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126ए, थाना खैर, जिला अलीगढ़ से संबंधित है, तथा वाद संख्या 1530/2025 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम संजय शर्मा) की संपूर्ण कार्यवाही और न्यायिक मजिस्ट्रेट खैर, अलीगढ़ द्वारा जारी सम्मन/संज्ञान आदेश दिनांक 04.11.2025 को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि एफ.आई.आर. झूठे आधारों पर दर्ज की गई है, जबकि आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है। पुलिस ने भी आवेदक के विरुद्ध अपर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोप-पत्र दाखिल किया है। एफ.आई.आर. और गवाहों के बयानों में अपराध गठित करने वाले आवश्यक तत्वों का अभाव है। वर्तमान अभियोजन दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज किया गया है। यह भी तर्क दिया गया कि आरोप-पत्र के आधार पर मामले में लिया गया संज्ञान अवैध है और न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना लिया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के विरुद्ध आरोपित अपराध असंज्ञेय अपराध हैं और पुलिस ने संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना मामले की जांच की और आरोप-पत्र दाखिल किया,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तथा विद्वान मजिस्ट्रेट ने भी दिनांक 04.11.2025 के आदेश द्वारा गलत और अवैध रूप से पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लिया और आगे की कार्यवाही की। यह भी तर्क दिया गया कि धारा 195 सीआर.पी.सी. के आलोक में धारा 188 आई.पी.सी. के तहत तब तक संज्ञान नहीं लिया जा सकता जब तक कि संबंधित लोक सेवक द्वारा लिखित शिकायत न की गई हो। अतः धारा 188 आई.पी.सी. के तहत संज्ञान लेना अधिकार क्षेत्र के बाहर है। यह भी कहा गया कि सीआर.पी.सी. की अनुसूची (I) के अनुसार धारा 171-एफ आई.पी.सी. एक असंज्ञेय अपराध है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126(ए) भी एक असंज्ञेय अपराध है जिसमें अधिकतम सजा दो वर्ष का कारावास या जुर्माना है।

4. आगे यह तर्क दिया गया कि रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है जो यह दर्शाती हो कि असंज्ञेय अपराधों में जांच से पूर्व मजिस्ट्रेट की अनुमति ली गई थी। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने सीआर.पी.सी. के साथ संलग्न अनुसूची और आवेदक के विरुद्ध आरोपित अपराधों के लिए निर्धारित सजा का उल्लेख किया। अंत में यह तर्क दिया गया कि आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही केवल सीआर.पी.सी. के अध्याय XV के तहत शिकायत के आधार पर ही की जा सकती है।

5. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि यद्यपि आवेदकों के विरुद्ध आरोपित अपराध असंज्ञेय हैं, फिर भी विवादित आदेश में ऐसी कोई खामी या अवैधता नहीं है जिसके लिए इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

6. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है और संपूर्ण रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है।

7. जैसा कि इस मामले में स्पष्ट है कि एफ.आई.आर. दिनांक 16.05.2024 को धारा 171-एफ, 188 आई.पी.सी. और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 126(ए) के तहत दर्ज की गई थी। विवेचनाधिकारी द्वारा मामले की जांच की गई और 30.06.2024 को उपरोक्त धाराओं के तहत आरोप-पत्र दाखिल किया गया। विद्वान मजिस्ट्रेट ने 04.11.2025 को उक्त धाराओं के तहत अपराध का संज्ञान लिया।

8. अनुसूची के अनुसार, आई.पी.सी. की धारा 171-एफ असंज्ञेय, जमानती और एक वर्ष के कारावास से दंडनीय है। आई.पी.सी. की धारा 188 के अनुसार अपराध संज्ञेय, जमानती और एक



महीने तक के साधारण कारावास या दो सौ रुपये के जुर्माने या दोनों से दंडनीय है, और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126(A) के अनुसार अपराध असंज्ञेय है और दो वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से दंडनीय है, इसलिए उपरोक्त धाराओं में अधिकतम सजा दो वर्ष तक का कारावास है।

9. दूसरे, रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि संबंधित मजिस्ट्रेट ने अपराध की प्रकृति पर विचार किए बिना, जिसके लिए आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया था, 04.11.2025 को संज्ञान ले लिया। चूँकि धारा 171(एफ) आई.पी.सी. और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126(ए) असंज्ञेय अपराध हैं, इसलिए धारा 2(डी) सीआर.पी.सी. / 2(एच) बी.एन.एस.एस. और अध्याय XV सीआर.पी.सी. / अध्याय XVI बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों के अनुसार इन अपराधों के लिए आरोप-पत्र पर संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए था। परिस्थितियों को देखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि धारा 171-एफ आई.पी.सी. और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126-ए के अपराध के लिए प्रस्तुत आरोप-पत्र पर दिनांक 04.11.2025 को लिया गया संज्ञान निरस्त किए जाने योग्य है।

10. जहाँ तक धारा 188 आई.पी.सी. का संबंध है, सीआर.पी.सी. की धारा 195(1) के तहत विशेष रूप से यह प्रावधान है कि कोई भी न्यायालय धारा 172 से 188 के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक कि संबंधित लोक सेवक या उसके प्रशासनिक वरिष्ठ लोक सेवक द्वारा लिखित शिकायत न की गई हो। अतः पुलिस रिपोर्ट पर धारा 188 आई.पी.सी. के तहत संज्ञान लेना भी अधिकार क्षेत्र के बिना है।

11. सुविधा के लिए, धारा 195 सीआर.पी.सी. निम्नवत है:-

"195. लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए, लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए अभियोजन।—(1) कोई भी न्यायालय संज्ञान नहीं लेगा —

(क) (i) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 172 से 188 (दोनों सहित) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, या

(ii) ऐसे किसी अपराध के दुष्प्रेरण, या करने के प्रयत्न का, या

(iii) ऐसे अपराध को करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र का,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सिवाय संबंधित लोक सेवक या किसी अन्य लोक सेवक के, जिसके वह प्रशासनिक रूप से अधीनस्थ है, लिखित परिवाद (शिकायत) पर;

(ख) (i) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की निम्नलिखित धाराओं में से किसी के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, अर्थात् धारा 193 से 196 (दोनों सहित), 199, 200, 205 से 211 (दोनों सहित) और 228, जब ऐसे अपराध के बारे में यह अभिकथित है कि वह किसी न्यायालय की किसी कार्यवाही में या उसके संबंध में किया गया है, या

(ii) उक्त संहिता की धारा 463 में वर्णित, या धारा 471, धारा 475 या धारा 476 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, जब ऐसे अपराध के बारे में यह अभिकथित है कि वह किसी न्यायालय की कार्यवाही में पेश किए गए या साक्ष्य में दिए गए किसी दस्तावेज के संबंध में किया गया है, या

(iii) उपखंड (i) या उपखंड (ii) में निर्दिष्ट किसी अपराध को करने के लिए किसी आपराधिक षड्यंत्र, या करने के प्रयत्न, या दुष्प्रेरण का,

[सिवाय उस न्यायालय के या उस न्यायालय के ऐसे अधिकारी के जिसे वह न्यायालय इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत करे, या किसी अन्य ऐसे न्यायालय के जिसके वह न्यायालय अधीनस्थ है, लिखित परिवाद पर।]

(2) जहाँ उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा परिवाद किया गया है, वहाँ कोई भी प्राधिकारी, जिसके वह प्रशासनिक रूप से अधीनस्थ है, परिवाद वापस लेने का आदेश दे सकता है और ऐसे आदेश की एक प्रति न्यायालय को भेज सकता है; और न्यायालय द्वारा उसकी प्राप्ति पर, परिवाद पर आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी:

परंतु ऐसा कोई भी वापस लिया जाना तब आदेशित नहीं किया जाएगा जब प्रथम दृष्टया न्यायालय में विचारण (ट्रायल) समाप्त हो चुका हो।

(3) उपधारा (1) के खंड (ख) में, "न्यायालय" शब्द का अर्थ सिविल, राजस्व या दंड न्यायालय है, और इसमें किसी केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या



उसके अधीन गठित न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) भी शामिल हैं, यदि उस अधिनियम द्वारा उसे इस धारा के प्रयोजनों के लिए न्यायालय घोषित किया गया है।

(4) उपधारा (1) के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, किसी न्यायालय को उस न्यायालय के अधीनस्थ माना जाएगा जहाँ पूर्ववर्ती न्यायालय की अपीलीय डिक्रियों या दंडदेशों की अपीलें सामान्यतः होती हैं, या किसी सिविल न्यायालय के मामले में जिसकी डिक्रियों की अपील सामान्यतः नहीं होती, उस प्रधान न्यायालय के अधीनस्थ माना जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसा सिविल न्यायालय स्थित है और जिसके पास सामान्य मूल सिविल अधिकारिता है:

परंतु यह कि—

(क) जहाँ अपीलें एक से अधिक न्यायालयों में होती हैं, वहाँ अवर (निम्न) अधिकारिता वाला अपीलीय न्यायालय वह न्यायालय होगा जिसके वह न्यायालय अधीनस्थ माना जाएगा;

(ख) जहाँ अपीलें सिविल और राजस्व न्यायालय, दोनों में होती हैं, वहाँ ऐसा न्यायालय उस मामले या कार्यवाही की प्रकृति के अनुसार सिविल या राजस्व न्यायालय के अधीनस्थ माना जाएगा जिसके संबंध में अपराध किया जाना अभिकथित है।"

12. इसलिए, आई.पी.सी. की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में, न्यायालय केवल संबंधित लोक सेवक की लिखित शिकायत पर ही संज्ञान ले सकता है। इस मामले में, एफ.आई.आर. एक पुलिस रिपोर्ट पर दर्ज की गई थी, जिस पर आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया था। विद्वान मजिस्ट्रेट ने आगे बढ़कर गलत और अवैध रूप से अपराध का संज्ञान लिया। इसके परिणामस्वरूप, विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 188 आई.पी.सी. के अपराध के लिए लिया गया संज्ञान सीआर.पी.सी. की धारा 195 से बाधित है और इसलिए, पुलिस रिपोर्ट पर आवेदक के विरुद्ध धारा 188 आई.पी.सी. के तहत संज्ञान लेने का आदेश टिकने योग्य नहीं है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए।

13. सीआर.पी.सी. की धारा 2(डी) के अनुसार, विपक्षी संख्या 2 आवेदकों के विरुद्ध केवल शिकायत के आधार पर ही अभियोजन चला सकता था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14. इस मामले में, न केवल एफ.आई.आर. दर्ज की गई बल्कि बिना किसी अधिकार क्षेत्र के विवेचना भी की गई और आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर धारा 188 आई.पी.सी. के तहत संज्ञान लेना भी अवैध है। इसके अलावा, मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप-पत्र स्वीकार करना और अपराध का संज्ञान लेना कार्यवाही को वैध नहीं बनाता है। यहाँ तक कि मजिस्ट्रेट द्वारा बाद में दी गई अनुमति भी इस अवैधता को ठीक नहीं कर सकती। जैसा कि सीआर.पी.सी. की धारा 460 / बी.एन.एस.एस. की धारा 506 से देखा जा सकता है, असंज्ञेय अपराध में विवेचना से पूर्व अनुमति न लेने के ये दोष सुधार योग्य नहीं हैं। यद्यपि आरोप-पत्र न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना उचित विवेचना के बाद दायर किया गया था और मजिस्ट्रेट ने आरोप-पत्र स्वीकार कर संज्ञान लिया था, इसका अर्थ यह नहीं है कि मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे असंज्ञेय अपराध की जांच की अनुमति दी गई थी या विवेचनाधिकारी द्वारा की गई त्रुटि सुधार गई है। इसलिए, मजिस्ट्रेट के लिखित आदेश के बिना असंज्ञेय अपराध की विवेचना इस धारा के प्रावधानों के पूर्णतः विपरीत है।

15. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस मामले में पुलिस द्वारा की गई विवेचना अधिकार क्षेत्र के बिना है और ऐसी अमान्य विवेचना रिपोर्ट पर आधारित है। विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष पूरी कार्यवाही गंभीर और लाइलाज दोषों से दूषित है।

16. अतः वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।

17. दिनांक 30.06.2024 का आरोप-पत्र संख्या 282/2024, जो मुकदमा अपराध संख्या 246/2024, धारा 171-एफ, 188 आई.पी.सी. और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126ए, थाना खैर, जिला अलीगढ़ से संबंधित है, तथा वाद संख्या 1530/2025 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम संजय शर्मा) की संपूर्ण कार्यवाही और न्यायिक मजिस्ट्रेट खैर, अलीगढ़ द्वारा उपरोक्त कार्यवाहियों में जारी सम्मन/संज्ञान आदेश दिनांक 04.11.2025 को केवल आवेदक के संबंध में एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

18. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

17 मार्च, 2026

ललित शुक्ला